

## वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत सीएसआर परियोजनाएं

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र म सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद।	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान.		परियोजना पर व्यय की गई राशि (रु. लाख में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)।	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	ज़िला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	(i) 01 एलोपैथिक डिस्पेंसरी और 05 होम्योपैथी डिस्पेंसरी का संचालन	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (i) अर्थात भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	49.11	नहीं	सेवा-टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर 000 16241
					उत्तरकाशी	2.91	नहीं		
					देहरादून	8.24	नहीं		
	(ii) चिकित्सा शिविरों/ चिकित्सा उपचार आदि के लिए स्वास्थ्य हस्तक्षेप के माध्यम से सहायता		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	78.73	नहीं		
					हरिद्वार	2.49	नहीं		
					नहीं	उत्तर प्रदेश	बिजनौर		
	(iii) चिकित्सा उपकरणों के लिए सहायता		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	52.82	नहीं		
					देहरादून	17.15	नहीं		
					हरिद्वार	10.81	नहीं		
			नहीं	उत्तराखंड	पौड़ी गढ़वाल	20.72	नहीं		
			हाँ	मध्य प्रदेश	अमेलिया	4.96	नहीं		
	(iv) उत्तराखंड सरकार के लिए कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कोल्ड चेन उपकरण		नहीं	उत्तराखंड	संपूर्ण उत्तराखंड	95.53	नहीं		
			नहीं	उत्तराखंड	संपूर्ण उत्तराखंड	50.00	नहीं		
	(v) उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन के लिए योगदान राज्य सरकार को सहायता देने के लिए कोष राहत एवं पुनर्वास उपाय		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	24.56	नहीं		
			नहीं	उत्तराखंड	देहरादून	6.54	नहीं		
	हरिद्वार				1.99	नहीं			
	हाँ				मध्य प्रदेश	अमेलिया	2.35		
	(vi) सार्वजनिक सेवाओं के लिए जिला प्राधिकरणों और कल्याण एजेंसियों को बुनियादी ढांचा सहायता।		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	34.76	नहीं		

	(vii) कोविड-19 के अंतर्गत मास्क,				देहरादून	21.65	नहीं		
			हाँ	मध्य प्रदेश	अमेलिया	8.04	नहीं		
	(viii) पेयजल सुविधा एवं जल/जल योजना/पानी टैंकर आदि।		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	11.94	नहीं		
	(ix) “हमेशा के लिए” पेयजल-मेघदूत-वायुमंडलीय जल उत्पादन (एडब्लूजी) की तैनाती		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	21.33	नहीं		
	(xi) स्वच्छता कार्य योजना एवं स्वच्छता पखवाड़ा		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	14.11	नहीं		
उत्तरकाशी		18.03			नहीं				
देहरादून		27.93			नहीं				
हरिद्वार		14.47			नहीं				
		नहीं	उत्तर प्रदेश	मऊ	7.75	नहीं			
2	(i) अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण अर्थात कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि।	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (ii) अर्थात शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच जिसमें विशेष शिक्षा और रोजगार शामिल है, व्यवसायिक कौशल को बढ़ाना और आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	6.90	नहीं	सेवा-टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर 000 16241
			देहरादून		2.91	नहीं			
	(ii) दीर्घकालिक कौशल प्रशिक्षण अर्थात जीएनएम/एएनएम/आईटीआई/डिप्लोमा आदि और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संस्थाएँ।		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	66.16	नहीं		
					देहरादून	109.10	नहीं		
	(iii) शैक्षणिक संस्थान/स्कूलों में नए निर्माण/मरम्मत द्वारा बुनियादी ढांचे का विकास		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	33.48	नहीं		
					उत्तरकाशी	7.45	नहीं		
					देहरादून	25.71	नहीं		
					हरिद्वार	25.05	नहीं		
			नहीं	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	8.92	नहीं		
	(iv) प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकें, पुस्तकालय सामग्री, डीजी सेट, पंखे और अन्य उपयोगिताएँ/कम्प्यूटर सेट आदि का विस्तार करके बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	11.82	नहीं		
					देहरादून	3.65	नहीं		
	(v) 02 टी.ई.एस. स्कूल, कोटेश्वर स्कूल चलाना तथा समाज के कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म/फीस आदि उपलब्ध	हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	205.43	नहीं			
देहरादून				301.77	नहीं				

	(vi) आजीविका संवर्धन / आय सृजन / कृषि हस्तक्षेप / प्रशिक्षण कार्यक्रम एनजीओ / सरकारी संस्थान के माध्यम से जिसमें अभिसरण कार्यक्रम शामिल हैं।		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	156.51	नहीं		
					उत्तरकाशी	0.50	नहीं		
					देहरादून	20.21	नहीं		
					हरिद्वार	19.64	नहीं		
3	(i) महिला विशिष्ट कौशल कार्यक्रम जैसे सिलाई/जूट/ब्यूटी शियन/अन्य महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम।	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (iii) के अनुसार  अर्थात लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए गृह और छात्रावास स्थापित करना, वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और विशेष रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय।	हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	5.84	नहीं	सेवा- टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर 000 16241
	(ii) पढ़ाई/आय सृजन गतिविधियों/अना थ लड़कियों/ पाँक्सो पीड़ितों के लिए बुनियादी ढाँचे के कार्यों के लिए सहायता।		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	14.30	नहीं		
4	(i) वृक्षारोपण का संवर्धन और संरक्षण	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (iv) अर्थात पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का	हाँ	उत्तराखंड	देहरादून	5.09	नहीं	सेवा- टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर00 0 16241
	(ii) वैकल्पिक/प्रभा वी/स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना।		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	5.92	नहीं		
					देहरादून	2.65	नहीं		
					हरिद्वार	4.54	नहीं		
	(iii) जागरूकता & नुक्कड़ नाटक पीएम पर		नहीं	उत्तराखंड	हरिद्वार	5.44	नहीं		
			नहीं	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	2.13	नहीं		
	(iv) इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना		नहीं	उत्तराखंड	हरिद्वार	92.54	नहीं		

	(iv) पशु कल्याण (कांजी हाउस)	संरक्षण और मिट्टी, वायु और जल की गुणवत्ता	हाँ	उत्तराखंड	देहरादून	15.00	नहीं		
		"गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान सहित"	नहीं	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	35.29	नहीं		
5	(i) सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए समर्थन आदि।	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (v) अर्थात राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण जिसमें ऐतिहासिक महत्व की इमारतों, स्थलों और कला कृतियों का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक	हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	17.46	नहीं	सेवा-टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर 000 16241
	(ii) ऋषिकेश में गंगा घाट क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और महत्वपूर्ण संरचनाओं को अग्रभाग/सजावटी रोशनी से रोशन करना।		हाँ		देहरादून		नहीं		
	(iii) संयोजित "आज़ादी का अमृत।" महोत्सव"	पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कलाओं और हस्तशिल्पों का संवर्धन और विकास शामिल है।	हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	2.66	नहीं		
	(iv) पारंपरिक कला और हस्तशिल्प जैसे रिगाल आदि को बढ़ावा देना।		हाँ		देहरादून		नहीं		
	(v) श्री बदौनाथ आध्यात्मिक स्मार्ट पहाड़ी शहर का निर्माण और पुनर्विकास		नहीं	त्रिपुरा	त्रिपुरा	2.00	नहीं		
			हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	4.89	नहीं		
6			नहीं	उत्तराखंड	चमोली	130.00	नहीं		
	(v) श्री बदौनाथ आध्यात्मिक स्मार्ट पहाड़ी शहर का निर्माण और पुनर्विकास								
6	सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके बुजुर्गों के लाभ के लिए उपाय	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (vi) अर्थात सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके बुजुर्गों के लाभ के लिए उपाय	नहीं	अखिल भारतीय	अखिल भारतीय	10.00	नहीं	सेवा-टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर 000 16241

7	(i) खेल किट/खेल गतिविधियों का वितरण	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (vii) अर्थात ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त	हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	6.15	नहीं	सेवा-टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर000 16241
					उत्तरकाशी	1.28	नहीं		
					देहरादून		नहीं		
			हाँ	मध्य प्रदेश	अमेलिया	2.16	नहीं		
			हाँ	उत्तर उत्तर प्रदेश	झांसी		नहीं		
	(ii) ग्रामीण युवाओं के लिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा	खेलों, पैरालंपिक खेलों, ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देना	नहीं	उत्तराखंड	पौड़ी गढ़वाल	22.83	नहीं		
8	केंद्रीय मान्यता प्राप्त निधियों में योगदान	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (viii) अर्थात प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत एवं कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में अंशदान	नहीं	अखिल भारतीय	अखिल भारतीय	405.00	नहीं	सेवा-टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर 000 16241
9	ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक भवन/शमशानघाट/ पथवे आदि का बुनियादी ढांचा निर्माण/मरम्मत।	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (x) ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	39.72	नहीं	सेवा-टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर 000 16241
					देहरादून	36.78	नहीं		
					हरिद्वार	7.06	नहीं		
			नहीं	उत्तराखंड	पौड़ी गढ़वाल	5.00	नहीं		
			हाँ	मध्य प्रदेश	अमेलिया	7.27	नहीं		
			नहीं	उत्तर प्रदेश	हापुड	7.50	नहीं		
10	(i) कोविड-19 से लड़ने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) को योगदान	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (xi) आपदा एवं विपत्ति सुरक्षा कार्य	नहीं	उत्तराखंड	देहरादून	48.79	नहीं	सेवा-टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर 000 16241

(ii) आपदा और विपत्ति के संबंध में जिला प्रशासन को राहत उपाय और सहायता	हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	10.36	नहीं
			देहरादून	0.20	नहीं
कुल				2646.60	

(क) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि

**73.95 लाख**

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि

**2720.55 लाख**